रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552 ] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2003/ज्येष्ठ 29, 1925
No. 552] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2003/JYAISTHA 29, 1925

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2003

**का.आ. 712( अ ).**— केंद्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के तहत जारी भारत सरकार, तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) की तारीख 4 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं0 का. आ. 78 (अ) द्वारा गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 का 198.00 कि.मी. से 263.00 कि.मी. (भरूच - सूरत खंड) खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा था ।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखंड और स्थायी पुल के उपयोग के लिए फीस - लोक वित्तपोषित परियोजनाएं) नियम, 1997 के नियम 3, 5 और 11 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के 198.00 से 263.00 कि.मी. (भरूच - सूरत खंड) तक उक्त खंड के प्रयोग के लिए यंत्रीकृत यानों पर इस अधिसचूना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर विभागीय, सीधे अथवा प्रतियोगी बोली के आधार पर निजी ठेकेदार के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा फीस उद्ग्रहीत और संदत्त की जाएगी ।

## अनुसूची

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के 198.00 से 263.00 कि.मी. (भरूच - सूरत खंड) के बीच प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरें ।

फीस, प्रस्तावित खंड के अंदर एक ही स्थान पर वसूली जाएगी ।

| क्रम सं0 | यान का प्रकार | 1 जुलाई, 2003 से अगले आदेशों तक एकमार्गीय यात्रा हेतु यान के लिए फीस की दर (रुपए) |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | कार अथवा जीप अथवा वैन | 15 |
| 2. | हल्के वाणिज्यिक यान | 30 |
| 3. | ट्रक अथवा बस | 55 |
| 4. | भारी निर्माण मशीनरी तथा अर्थमूविंग उपस्कर | 120 |

टिप्पण - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :

1. जब उसी यान को एक दिन में एक से अधिक बार राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड को पार करना है तो प्रयोक्ता को यह विकल्प होगा कि वह पहली बार ही राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड को पार करते समय उपर्युक्त दरों का डेढ़ गुणा संदाय कर दे अथवा यदि यान को संपूर्ण मास में लगातार या प्रायः बार बार उक्त खंड का प्रयोग करना पड़ता है तो यान का स्वामी पूर्वोक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उसको लागू एकल दरों के तीस गुणा के बराबर प्रभारों का संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है ।

2. निम्नलिखित प्रकार के यानों को अनुसूची में ऊपर विनिर्दिष्ट फीस से छूट प्रदान की गई है अर्थात् :-

(i) रक्षा यान,
(ii) पुलिस यान,
(iii) अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान,
(iv) अग्नि शमन यान,
(v) एम्बुलेंस,
(vi) अन्त्येष्टि यान
(vii) डाक और तार विभाग के यान, और
(viii) केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यस्थ यान

3. निम्नलिखित से संबंधित आधिकारिक यान, अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान समझे जाएंगे अर्थात् :-

(i) भारत के राष्ट्रपति,
(ii) भारत के उप राष्ट्रपति,
(iii) केंद्रीय और राज्य मंत्री, जब वाहन में हों,

(iv) लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान मंडलों में प्रतिपक्ष के नेता, जिनका स्तर कैबिनेट मंत्री का है, जब वाहन में हों,

(v) राज्यों के राज्यपाल

(vi) संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल,

(vii) केंद्रीय और राज्य विधान मंडल के स्पीकर या सभापति,

(viii) परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर संपूर्ण देश के संसद सदस्य

(ix) संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर राज्य में विधान सभा अथवा परिषद के सदस्य

(x) भारत के शासकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति,

(xi) सी डी अथवा सी सी प्रतीक (कार डिप्लोमेटिक) वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक,

(xii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुरस्कार के प्रमाणन के संबंध में जारी परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर वीरता पुरस्कार अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र विजेता ।

4. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और उस प्राधिकारी का नाम, पता टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर चौकी से 500 मी0 आगे, पथकर चौकी से 100 मी0 आगे और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किया जाएगा । संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्डों को पढ़ना सहज हो ।

[फा० सं० आर डब्ल्यू/एन एच-37011/25/2002-पी आई सी]

अशोक जोशी, सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th June, 2003

**S.O. 712(E).**—Whereas, the Central Government, vide notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing), number 78(E), dated 4th Feburary, 1999 issued under section 11 of National Highways Authority of India Act 1988(68 of 1988), entrusted the stretch from Km 198.00 to Km 263.00(Bharuch-Surat Section) of National Highway No. 8 in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rules 3, 5 and 11of the National Highways (Fees For The Use Of National Highway Section And Permanent Bridge-Public Funded Project) Rules, 1997, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected by the National Highways Authority departmentally, directly or through private contractor on the basis of competitive bidding, a fee on mechanical vehicles for

the use of the said stretch from Km 198.00 to Km 263.00(Bharuch-Surat Section ) of National Highway No. 8 in the State of Gujarat at the rates specified in the Schedule annexed hereto.

## SCHEDULE

Rate of fee to be recovered from the users of stretch between Km 198.00 to Km 263.00(Bharuch-Surat Section) of National Highway No. 8, in the State of Gujarat.

The fee shall be collected at single location only within the stretch proposed.

| Sl. No. | Type of vehicle | Fee rate for vehicle for one way trip (rupees) with effect from 1st July, 2003 to till further order |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Car or jeep or van | 15 |
| 2. | Light commercial vehicle (LCV) | 30 |
| 3. | Truck or bus | 55 |
| 4. | Heavy construction machinery and earth moving equipment | 120 |

Notes- For the purposes of this notification, -

(1) when the same vehicle has to cross the toll gate more than once in a day, the user shall have the option to pay one and half times the above rates while crossing the gate in the first trip itself or if the vehicle has to use the said stretch continuously and frequently for entire month, the vehicle owner can have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times single rates applicable to it as specified in the aforesaid Schedule.

(2) the following types of vehicles are exempted from the fee specified above in the Schedule, namely: -

(i) Defence vehicles;
(ii) Police vehicles;
(iii) Vehicles having Very Important Person symbols;
(iv) Fire fighting vehicles;
(v) Ambulances;
(vi) Funeral vans;
(vii) Post and Telegraph Departments vehicles;
(viii) Central Government and State Government vehicles on duty.

3. the vehicle belonging to any one of the followings shall be deemed to be vehicles having Very Important Person symbols, namely: -

(i) President of India;
(ii) Vice-President of India;
(iii) Central and State Ministers, while in vehicles;

(iv) Leaders of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the status of Cabinet Ministers, while in vehicles;
(v) Governors of states;
(vi) Lieutenant Governors of Union Territories;
(vii) Speakers or Chairman of Central and State Legislatures, while in vehicles;
(viii) Members of Parliament in the entire country on production of Identity Card issued by Parliament;
(ix) Members of Legislative Assemblies or Legislative Councils within the state on production of Identity Card issued by the respective Legislature;
(x) Foreign dignitaries on State visit to India;
(xi) Foreign Diplomats stationed in India using cars with CD or CC number plate;
(xii) Winners of the gallantry awards namely,Param Vir Chakra,Ashok Chakra,Maha Vir Chakra,Kirti Chakra,Vir Chakra and Shaurya Chakra on production of Identity Card authenticating the award by the competent authority.

4. the rates of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of the authority to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 metres ahead of the toll booths, 100 metres ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards.

[F. No. RW/NH-37011/25/2002-PIC]

ASHOKE JOSHI, Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2003

**का.आ. 713( अ ).**— केंद्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के तहत जारी भारत सरकार, तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) की तारीख 4 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं0 का. आ. 78 (अ) द्वारा गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 का 109.00 कि.मी. से 192.00 कि.मी. (बड़ोदरा - भरूच खंड) खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा था ।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखंड और स्थायी पुल के उपयोग के लिए फीस - लोक वित्तपोषित परियोजनाएं) नियम, 1997 के नियम 3, 5 और 11 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के 109.00 से 192.00 कि.मी. (बड़ोदरा से भरूच खंड) तक उक्त खंड के प्रयोग के लिए यंत्रीकृत यानों पर इस अधिसचूना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर विभागीय, सीधे अथवा प्रतियोगी बोली के आधार पर निजी ठेकेदार के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा फीस उद्ग्रहीत और संदत्त की जाएगी ।

## अनुसूची

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के 109.00 से 192.00 कि.मी. (बड़ोदरा-भरूच खंड) के बीच प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली फीस की दरें ।

फीस, प्रस्तावित खंड के अंदर एक ही स्थान पर वसूली जाएगी ।

| क्रम सं0 | यान का प्रकार | 1 अक्तूबर, 2003 से अगले आदेशों तक एकमार्गीय यात्रा हेतु यान के लिए फीस की दर (रुपए) |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | कार अथवा जीप अथवा वैन | 20 |
| 2. | हल्के वाणिज्यिक यान | 35 |
| 3. | ट्रक अथवा बस | 75 |
| 4. | भारी निर्माण मशीनरी तथा अर्थमूविंग उपस्कर | 155 |

टिप्पण - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :

1. जब उसी यान को एक दिन में एक से अधिक बार राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड को पार करना है तो प्रयोक्ता को यह विकल्प होगा कि वह पहली बार ही राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड को पार करते समय उपर्युक्त दरों का डेढ़ गुणा संदाय कर दे अथवा यदि यान को संपूर्ण मास में लगातार या प्रायः बार बार उक्त खंड का प्रयोग करना पड़ता है तो यान का स्वामी पूर्वोक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उसको लागू एकल दरों के तीस गुणा के बराबर प्रभारों का संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है ।

2. निम्नलिखित प्रकार के यानों को अनुसूची में ऊपर विनिर्दिष्ट फीस से छूट प्रदान की गई है अर्थात् :-

(i) रक्षा यान,
(ii) पुलिस यान,
(iii) अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान,
(iv) अग्नि शमन यान,
(v) एम्बुलेंस,
(vi) अन्त्येष्टि यान
(vii) डाक और तार विभाग के यान, और
(viii) केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यस्थ यान

3. निम्नलिखित से संबंधित आधिकारिक यान, अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान समझे जाएंगे अर्थात् :-

(i) भारत के राष्ट्रपति,
(ii) भारत के उप राष्ट्रपति,
(iii) केंद्रीय और राज्य मंत्री, जब वाहन में हों,
(iv) लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान मंडलों में प्रतिपक्ष के नेता, जिनका स्तर कैबिनेट मंत्री का है, जब वाहन में हों,
(v) राज्यों के राज्यपाल
(vi) संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल,
(vii) केंद्रीय और राज्य विधान मंडल के स्पीकर या सभापति,
(viii) परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर संपूर्ण देश के संसद सदस्य
(ix) संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर राज्य में विधान सभा अथवा परिषद के सदस्य
(x) भारत के शासकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति,
(xi) सी डी अथवा सी सी प्रतीक (कार डिप्लोमेटिक) वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक,
(xii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुरस्कार के प्रमाणन के संबंध में जारी परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर वीरता पुरस्कार अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र विजेता ।

4. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और उस प्राधिकारी का नाम, पता टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर चौकी से 500 मी0 आगे, पथकर चौकी से 100 मी0 आगे और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किया जाएगा । संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्डों को पढ़ना सहज हो ।

[फा० सं० आर डब्ल्यू/एन एच-37011/24/2002-पी आई सी]

अशोक जोशी, सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th June, 2003

**S.O. 713(E).**—Whereas, the Central Government, vide notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing), number 78(E), dated 4th Feburary, 1999 issued under section 11 of National Highways Authority of India Act 1988 (68 of 1988), entrusted the stretch from Km 109.00 to Km 192.00 (Vadodra - Bharuch Section) of National Highway No. 8 in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rules 3, 5 and 11of the National Highways (Fees For The Use of National Highway Section And Permanent Bridge - Public Funded Project) Rules, 1997, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected by the National Highways Authority departmentally, directly or through private contractor on the basis of competitive bidding, a fee on mechanical vehicles for the use of the said stretch from Km 109.00 to Km 192.00 (Vadodra - Bharuch Section) of National Highway No. 8 in the State of Gujarat at the rates specified in the Schedule annexed hereto.

## SCHEDULE

Rate of fee to be recovered from the users of stretch between Km 109.00 to Km 192.00 (Vadodra - Bharuch Section) of National Highway No. 8 in the State of Gujarat.

The fee shall be collected at single location only within the stretch proposed.

| Sl. No. | Type of vehicle | Fee rate for vehicle for one way trip (rupees) with effect from 1st Oct, 2003 to till further order |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Car or jeep or van | 20 |
| 2. | Light commercial vehicle (LCV) | 35 |
| 3. | Truck or bus | 75 |
| 4. | Heavy construction machinery and earth moving equipment | 155 |

Note: - For the purposes of this notification, -

(1). when the same vehicle has to cross the toll gate more than once in a day, the user shall have the option to pay one and half times the above rates while crossing the gate in the first trip itself or if the vehicle has to use the said stretch continuously and frequently for entire month, the vehicle owner can have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times single rates applicable to it as specified in the aforesaid Schedule.

(2) the following types of vehicles are exempted from the fee specified above in the Schedule, namely: -

(i) Defence vehicles;
(ii) Police vehicles;
(iii) Vehicles having Very Important Person symbols;
(iv) Fire fighting vehicles;
(v) Ambulances;
(vi) Funeral vans;
(vii) Post and Telegraph Departments vehicles;
(viii) Central Government and State Government vehicles on duty.

3. the vehicle belonging to any one of the followings shall be deemed to be vehicles having Very Important Person symbols, namely: -

(i) President of India;
(ii) Vice-President of India;
(iii) Central and State Ministers, while in vehicles;
(iv) Leaders of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the status of Cabinet Ministers, while in vehicles;
(v) Governors of states;
(vi) Lieutenant Governors of Union Territories;
(vii) Speakers or Chairman of Central and State Legislatures, while in vehicles;
(viii) Members of Parliament in the entire country on production of Identity Card issued by Parliament;
(ix) Members of Legislative Assemblies or Legislative Councils within the state on production of Identity Card issued by the respective Legislature;
(x) Foreign dignitaries on State visit to India;
(xi) Foreign Diplomats stationed in India using cars with CD or CC number plate;
(xii) Winners of the gallantry awards namely,Param Vir Chakra,Ashok Chakra,Maha Vir Chakra,Kirti Chakra,Vir Chakra and Shaurya Chakra on production of Identity Card authenticating the award by the competent authority.

4. the rates of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of the authority to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 metres ahead of the toll booths, 100 metres ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards.

[F. No. RW/NH-37011/24/2002-PIC]

ASHOKE JOSHI, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

1703GI/03-2